भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5822

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

वाटर स्पोर्ट्स अवसंरचना का विकास

†5822. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्र तटीय कर्नाटक राज्य में स्कूबा डाइविंग, डाइविंग, सर्फिंग, पैरासेलिंग, कैनोइंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स के लिए वाटर स्पोर्ट्स अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, दक्षिण एशिया में इसके प्रशिक्षण के लिए एकमात्र सरकारी सुविधा है और क्या सरकार ने देश में इसी प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण कन्नड़ जिले में वाटर स्पोर्ट्स की अवसंरचना के विकास पर विचार किया जा रहा है;

(घ) डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, 2025 का ब्यौरा क्या है और इसमें भागीदारी का ब्यौरा और आयोजित प्रतिस्पर्धाओं के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के समन्वय से नदी क्रूज पर्यटन से पृथक वाटर स्पोर्ट्स के लिए 111 घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों में इसकी संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है;

(च) वाटर स्पोर्ट्स संचालकों के लिए सुरक्षा मानकों और साहसिक पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों, प्रवर्तन तंत्र का ब्यौरा क्या है और इसके अनुपालन की स्थिति क्या है; और

(छ) साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स अवसंरचना के विस्तार की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थान "राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस-आईआईटीटीएम)" के माध्यम से स्कूबा डाइविंग, डाइविंग, सर्फिंग, पैरासेलिंग, कैनोइंग और अन्य जल क्रीड़ाओं से संबंधित पाठ्यक्रम (कोर्स) संचालित करता है। एनआईडब्ल्यूएस-आईआईटीटीएम भारत में जल क्रीड़ाओं में प्रशिक्षण, प्रमाणन और क्षमता निर्माण के लिए नोडल सरकारी संस्थान है।

वर्तमान में, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में जल क्रीड़ा अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने क्षमता निर्माण और सुरक्षित जल आधारित पर्यटन के क्षेत्र में सहायता के लिए उपग्रह केंद्र स्थापित करने हेतु एनआईडब्ल्यूएस-आईआईटीटीएम से संपर्क किया है।

इसके अलावा, खेलो इंडिया योजना (केआईएस) और राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) के "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" नामक घटक के तहत, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ वाला फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि जैसी खेल अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पूरे देश में परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें कर्नाटक राज्य में स्विमिंग पूल की 1 परियोजना भी शामिल है। कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में, केआईएस और एनएसडीएफ के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं, उनकी स्वीकृत लागत, जारी की गई धनराशि और उनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी का विवरण युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के डैशबोर्ड पर क्रमशः https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

(ग): वर्तमान में, दक्षिण कन्नड़ जिले में जल क्रीड़ा अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

(घ): खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव का पहला संस्करण 21 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और उसकी पहुंच और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था।

इन खेलों का आयोजन 2 प्रतिस्पर्धी खेलों और 3 प्रदर्शन वाले खेलों के रूप में किया गया, जिसमें 409 एथलीट, 82 सहायक कर्मचारी, 65 तकनीकी अधिकारी, 55 खेल विशिष्ट स्वयंसेवक, 2 प्रतियोगिता प्रबंधक आदि ने भाग लिया।

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव (केआईडब्ल्यूएसएफ) 2025 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

खेल विधाएँ

- प्रतिस्पर्धी: कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग (2 खेल)
- प्रदर्शन: वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट (3 खेल)

आयु वर्ग: सभी आयु वर्ग के लिए। पदक तालिका में शीर्ष तीन राज्य:-

राज्य	गोल्ड	सिल्वर	ब्रांज	कुल
मध्य प्रदेश	10	3	5	18
ओडिशा	4	5	1	10
केरल	3	1	3	7

(ङ): वर्तमान में, घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को जल क्रीड़ाओं के लिए उपयोग में लाने हेतु पर्यटन मंत्रालय के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, कई राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए पहले से ही किया जा रहा है। इनमें अन्य के साथ-साथ गंगा (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड), सतलुज (हिमाचल प्रदेश), सिंधु (लद्दाख), चिनाब, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, साबरमती, नेत्रावती, शरावती, तुंगभद्रा, मांडोवी, चपोरा, घटप्रभा, रावी और केरल में नहर प्रणाली शामिल हैं।

(च): विवरण इस प्रकार हैं:

- सुरक्षा मानक एवं दिशानिर्देश: एनआईडब्ल्यूएस-आईआईटीटीएम ने विभिन्न जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए व्यापक सुरक्षा मानक एवं मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित किए हैं। इन्हें कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपनी-अपनी जल क्रीड़ा एवं साहसिक पर्यटन नीतियों में अपनाया/शामिल किया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, गुजरात, ओडिशा और पुडुचेरी जैसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।
- प्रवर्तन तंत्र: सुरक्षा नियमों का प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधीन है। इनमें गोवा में पर्यटन पुलिस, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन सुरक्षा प्रवर्तन दल (टीएसईटी) और गुजरात तथा ओडिशा में राज्य और जिला स्तरीय साहसिक पर्यटन समितियां शामिल हैं।
- अनुपालन की स्थिति: अनुपालन की निगरानी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण, जांच और प्रवर्तन टीमों के माध्यम से उनके संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

(छ): राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाता है, बशर्ते वे पूर्ण हों, तकनीकी व्यवहार्यता, जोखिम आकलन और तटीय क्षेत्रों, नदियों, जलाशयों और झीलों के लिए वहन क्षमता का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया हो और योजना के तहत निधि उपलब्ध हो।

*****